कार्यालय नगर पालिका परिषद,देवरिया

अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद,देवरिया के वर्ष 2016–17 में पंजीकृत व नवीनीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निम्न निर्माण कार्य "कान्हा पशु आश्रय योजना" योजना के अन्तर्गत जारी शासनादेश सं0 54/2016/1841/नौ–8–16–01के0पी0ए0 (बजट) /2016 से स्वीकृत/स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न निर्माण कार्यो हेतु दि0 06-9-16 को प्रातः 10:00 बजे से 2:00 बजे तक मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो पालिका/कलेक्ट्रेट कार्यालय (एल0 बी0 सी0 पटल) में निविदा बाक्स में निविदा डाली जायेगी। जो उपस्थित ठेकेदार गण के समक्ष उसी तिथि को साय 4:00 बजे खोली जायेगी निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दि0 05-9-16 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 2:00 बजे तक पालिका/कलेक्ट्रेट कार्यालय (एल0बी0सी0पटल) से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ यथेष्ट मूल्य की धरोहर धनराशि के रुप में एन0एस0 सी0/के0बी0 पी0/एफ0डी0 आर0/नगद फार्म–5 आदि जो अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद,देवरिया के पद नाम से बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना होगा। जमानत प्रपत्र की छायाप्रति मान्य नही होगी। उक्त विज्ञापन को www.deoria.nic.in व पालिका के चालू वेबसाइट www.municipal deoria.in पर देखे जा सकते है।

क्र. सं.	वार्ड नं0	कार्य का नाम	आगणन धनांक (लाख) में	जमानत धनांक (लाख) में	निविदा प्रपत्र मूल्य (हजार) में	कार्य अवधि
1	10	रामगुलाम टोला उत्तरी में "कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाऊस का निर्माण कार्य।	242.49	24.25	24500.00	नौ माह

<u>नियम एवं शर्तेः–</u>

1. रेट परसेटेज बेसिस पर भरें जाए।
2. एक या समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
3. निविदा की दरें स्पष्ट रुप से शब्दों तथा अकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
4. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।
5. निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर कार्य पूर्ण करना आवश्यक है।
6. निर्माण कार्य पूर्ण होने के छः माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत धनराशि को जब्त कर ली जा सकती है।
7. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड भी देय होगा।
8. ठेकेदार को समान कार्य का 1/2 भाग का अनुभव होना आवश्यक है।
9. निविदा की वैद्यता छः माह होगी।
10. अन्य नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में निर्माण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती है।
11. पालिका में पंजीकृत किसी भी ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि एवं सहयोगी द्वारा किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार/अशिष्टता/अभद्रता अथवा अमर्यादित आचरण आदि किया जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराते हुए सम्बन्धित ठेकेदार के पंजीयन को निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही अवशेष भुगतान की धनराशि भी जब्त की जा सकती है।
12. निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में सक्षम अधिकारी नगर पालिका परिषद,देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

पत्रांक 695 /नि0वि0–2016–17/न0पा0प0 देवरिया दिनांक 17 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक दैनिक जागरण/ आज ....को इस आशय से कि उपरोक्त अल्पकालिक निविदा सूचना अपने सामाचार पत्र में न्यूनतम जगह व न्यूनतम दर पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय,देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को अपने वेवसाइट पर प्रकाशित करने हेतु ।
4. नोटिस बोर्ड न0पा0दे0/जिला पंचायत/विकास भवन/कलेक्ट्रेट/लो0नि0वि0प्रा0खण्ड, देवरिया पर चस्पा हेतु।
5. कम्प्यूटर आपरेटर नगर पालिका परिषद,देवरिया को इस निर्देश के साथ की उक्त निविदा को न0पा0प0,देवरिया के वेवसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवरिया